## कार्यालय संचालक

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) कलियासोत डेम के पास, कोलार रोड भोपाल- 462016 दूरभाष 0755-40882502, 4082525 Email: mpwalmi@gmail.com

क्र.वाल्मी / डब्ल्यू – 04 / क.स.नि. / 2021 – 22

भोपाल, दिनांक ...../07/2021

## आदेश

## कर्मचारी सहायता निधि

प्रायः देखा जाता है कि शासकीय नियमों में बंधे होने के कारण संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में भी तात्कालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा पाती है।/नहीं मिल पाती है जिसके कारण उनके मन में निराशा उत्पन्न होती है। इस परिस्थिति के निराकरण के लिये संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अपनी स्वेच्छा से एक कर्मचारी कल्याण निधि का संधारण (कार्यालय के अधीन) किया गया है। इस निधि में संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले भुगतानों (जैसे इंसेटिव / विशेष वेतन, समयमान वेतनमान एरियर्स आदि) एवं अन्य अवसरों पर स्वेच्छा से अंशदान इस खाते में जमा किया जा रहा है जिसके परिणाम सुखद दिख रहे हैं। इस निधि के उपयोग के लिये निम्नलिखित मार्गदर्शिका है-

- 1. संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों को अतिगंभीर बीमारी एवं दुर्घटना से संबंधित सहायता के लिए संचालक की अनुमित से न्यूनतम् राशि रू. 20,000/- की सहायता दी जावेगी। राशि में वृद्धि करने का अधिकार संचालक महोदया के अधिकार क्षेत्र में होगा। यह नियम सिर्फ स्थाईकर्मियों के लिये लागू होगा। पात्रता के चयन हेतु राज्य शासन की राज्य बीमारी सहायता के नियम लागू होंगे।
- 2. संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अधिकत्म 20,000 / -अनुदान मद के रूप में देय होगा। राशि में वृद्धि करने का अधिकार संचालक महोदया के अधिकार क्षेत्र में होगा एवं यह स्थाईकर्मियों के लिये लागू होगी। पात्रता हेतु उत्तीर्ण परीक्षा में न्यूनतम 85% प्राप्तांक
- 3. संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वयं के Skill development के लिये स्थाईकर्मी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी को रू. 20,000/-तक की राशि दी जावेगी यदि इस ट्रेनिंग से संस्थान को
- 4. वर्षिक रूपमें सभी अधिकारियों / कर्मचारियों का वार्षिक हेल्थ चेकअप किया जावेगा।
- 5. उत्कृष्ट कार्य के लिये अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार आदि देने के लिये भी इस राशि
- 6. अनुग्रह सहायता-संस्थान के दिवंगत ऐसे कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को जिनको अनुकंपा नियुक्ति का लाभ अब तक नहीं दिया जा सका है एवं प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं तो उन्हें भी उपरोक्तानुसार कार्यों हेतु अनुग्रह सहायता के रूप में अधिकतम रू. 20000.00 का लाभ दिया जा सकता है।
- 7. अंत्येष्टि सहायता- संस्थान के जरूरतमंद कर्मचारी के परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर अधिकतम 5000 / – की सहायता दी जायेगी। परिवार के सदस्य का आकलन पंचायत राज अधिनियम में
- 8. संस्थान में कार्यरत (पूर्व / वर्तमान) कर्मचारी के विधवा / विदूर सदस्य को आजीविका हेतु आवश्यक राशि/संसाधन/सामग्री रू. 10,000/- की सीमा तक उपलब्ध कराई जा सकेगी। आवश्यकतानुसार Skill Traning\_ भी कराई जा सकेंगी।

9. अन्य विषय संचालक महोदया के विवेकाधीन।

10. उपरोक्त कार्यों के लिये एक समिति का गठन होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

अध्यक्ष प्रशासकीय अधिकारी

पदेन सदस्य स्थापना प्रभारी

पदेन सदस्य ंसह प्राघ्यापक प्रकोष्ट-1

पदेन सदस्य सह प्राघ्यापक प्रकोष्ट-2

सचिव लेखाधिकारी

यह समिति आय-व्यय ब्यौरा रखने के साथ-साथ प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं अनुशंसा करेगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे।

• राशि खातों का संधारण

• राशि कैसे जमा होगी

• जमा राशि का उपयोग क्या होगा

11. इस हेतु पंजाब नेशनल बैंक , चूना भट्टी शाखा में प्रशासकीय अधिकारी के नाम से एक बचत खाता क्रमांक 6476000100024602 संधारित किया जा रहा है, जिसमें बैंक से राशि आहरण के अधिकार प्रशासकीय अधिकारी को प्रदाय किये गये हैं।

भोपाल, दिनांक ..... / 07 / 2021

पृ.क्र.वाल्मी / डब्ल्यू – 04 / क.स.नि. / 2021 – 22

## प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रकोष्ठ / शाखा प्रभारी, वाल्मी भोपाल

2. निज सहायक (संचालक कक्ष), वाल्मी भोपाल

सूचना पटल / गार्ड नस्ती / वेबसाईट सिमिति, वाल्मी भोपाल